

प्ररूप सं. 10चक

[नियम 21कख (3) देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 और धारा 90क के अधीन किसी करार के प्रयोजन के लिए निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

.....
.....
.....
.....

श्रीमान,

मैं यह निवेदन करता हूँ कि मेरे/(व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के लिए) के लिए प्ररूप संख्या 10चख में निवास प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए।

2. इस संबंध में सुसंगत ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

- (i) आवेदक का पूरा नाम और पता
(ii) प्रास्थिति (क्या व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का निकाय, कंपनी आदि है? स्पष्ट करें)
(iii) राष्ट्रीयता (व्यक्ति की दशा में)
(iv) निगमन/रजिस्ट्रीकरण का देश (अन्य की दशा में)
(v) उस अवधि के दौरान आवेदन का पता जिसके लिए टीआरसी (कर निवास प्रमाणपत्र) वांछित है
(vi) ई-मेल आईडी
(vii) ¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]/टीएएन सं., यदि लागू हों
(viii) वह आधार जिस पर भारत का निवासी होने की प्रास्थिति का दावा किया गया है

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ix) वह अवधि जिसके लिए निवास प्रमाणपत्र लागू है

.....

(x) कर निवास प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने का प्रयोजन (विनिर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है)

.....

(xi) कोई भी अन्य ब्यौरा

.....

3. समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :-

(1)

(2)

(3)

सत्यापन

मैं, (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री (व्यष्टि से भिन्न व्यक्ति का पदनाम) की हैसियत से यह सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शित गई अन्य विशिष्टियां सत्य कथित है।

आज तारीख को सत्यापित

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम